न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 11/2024 बउनवानी प्रेमचन्द गुर्जर नाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला0कलेक्टर,स0मा0 पुत्र शिवलाल गुर्जर, निवासी ग्राम टोटोलाई पोरट बूचोलाई तहसील तलावडा **GCMS No-2024/25**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

12.4.2024

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 5.2.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. सम्पूर्ण ग्राम टोटोलाई की सेटलमेंट से पूर्व की नक्शा शीट की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. ग्राम टोटोलाई मे साबिक ख0न0 28 की नक्शा शीट की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. सम्पूर्ण ग्राम टोटोलाई के सम्वत,2019 की एकीकरण नक्शाशीट(मेट्रिक शीट)की प्र0प्रति।
4. सम्पूर्ण ग्राम टोटोलाई के ट्रेसिंग क्लॉथ पर बने हुए राजस्व मानचित्र की प्रमाणित प्रति।
5. सम्पूर्ण ग्राम टोटोलाई के नकल नक्शा लटठा किश्तवार की प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. ग्राम टोटोलाई मे साबिक 28 को विभाजित कर बनाये गये हाल खसरा नम्बर 263 रकबा 9.00 है0 को विभाजित कर बनाये गये ख0न0 263/मिन की नक्शा लटठा किस्तवार की प्रमाणित
7. सम्पूर्ण ग्राम टोटोलाई के सम्वत् 2016 की नक्शा शीट की प्रमाणित प्रतिलिपि।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकःएफ.13(1)(15)सूकाअ/2024/356 दिनांक 04.04.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 5.2.2024 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 7 मे से बिन्दु संख्या 1,4,5,7 की सूचना नियमानुसार आवेदन कर प्राप्त करने हेतु तथा बिन्दु संख्या 2,3,6 की सूचना जिला अभिलेखागार में उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। उक्त संबंध में अपीलान्ट को बिन्दुवार वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 5.2.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 7 मे से चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने अथवा कुछ बिन्दुओं की सूचना प्रभारी अधिकारी भू0अ0 के कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध में अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 265 दिनांक 15.3.2024 के द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है किन्तु [illegible] अपीलान्ट को सुझाव दिया जाता है कि चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित करते हुए नियमानुसार प्रार्थना पत्र पेश करे तथा प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख [illegible] को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे अपीलान्ट द्वारा पूर्ण विवरण के साथ प्रार्थना [illegible] प्रस्तुत किया जाने पर नियमानुसार नकल उपलब्ध करवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार [illegible]र नम्बर से कम हो [illegible] तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:06:14 IST
Reason: Self Attested

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner